अपील सूचना अधिकार संख्या 15/2018 प्रताप सिंह शेखावत एडवोकेट निवासी करणी भवन 175/3 गणगौर नगर, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09–05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत उपस्थित है। अपीलार्थी की बहस दिनांक 30.04.2018 को सुनी जा चुकी है एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत का कथन था कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2018 लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को प्रस्तुत कर 2 बिन्दुओ पर सूचनाए चाही थी जो उसे जानबूझकर लोक सूचना अधिकारी द्वारा आज तक उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत कार्यवाही की जावे और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. **मैने शस्त्र लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नोटशीट, पुलिस विभाग की रिपोर्ट आदि की मय आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति।**

2. **सामान्य श्रेणी में तथा अन्य विशेष श्रेणी मे 1 जनवरी 2017 से सूचना उपलब्ध करवाने की दिनांक तक जारी शस्त्र लाईसेन्स की सूची की प्रमाणित प्रति।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> :

(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं और लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं नियमानुसार वाछित सूचनाएं 10 दिवस में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर